


प्ररूप 2 (नियम 11 (4) देखिए)



कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी (Betul), मध्यप्रदेश

दूरभाष:-

फैक्स:

ई-मेल:

क्रमांक/3522535/स्कूल आई.डी. - 39216
प्रति,

दिनांक- 19/07/2017

प्रबंधक,

(VAISHNAVI PUBLIC ACADEMY, ATHNER)

विषय: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल मान्यता प्रमाण पत्र।
महोदय/महोदय,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 01/01/1900 तथा इस संबंध में स्कूल से पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार निरीक्षण के संदर्भ में, मैं आपकी स्कूल -VAISHNAVI PUBLIC ACADEMY, ATHNER, Vaishnavi Nagar Betul Road Gunkhed Athner को कक्षा Nursery से कक्षा 8 तक के लिए दिनांक 01/04/2017 से 31/03/2021 तक कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन होगी:

- मान्यता विस्तारित नहीं होगी तथा कक्षा 8 से आगे की मान्यता/संबद्धता की कोई बाधता किसी भी रूप में विद्यमान नहीं होगी।
- स्कूल निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपबंध 1) तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- स्कूल अपने परीक्षा की सीमा के अंतर्गत समूह तथा कमजोर वर्ग के बालकों को कक्षा 1 में न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। उस दृष्टि से, स्कूल यदि सहायता प्राप्त स्कूल है तो इसमें प्रवेशित बालकों को उस अनुपात में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा देगा जिस रूप में उसके वार्षिक आवंटित व्यय को पूरा करने हेतु इस प्रकार वार्षिक आवंटित सहायता या अनुदान प्राप्त होता है किंतु यह न्यूनतम पर्यवेक्षित प्रतिशत के अधीन होगा बशर्त कि जहाँ स्कूल पूर्व स्कूल (निःशुल्क) शिक्षा दी जाती है वहाँ अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (क) में (ग) के उपबंध प्र-स्कूल में प्रवेश के लिए लागू होंगे।
- पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए स्कूल को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्कूल को पृथक् से बैंक खाता उपलब्ध कराना होगा।
- सोसाइटी/स्कूल कोई भी कैपिटेशन फीस का संग्रह नहीं करेगा तथा बालक या उनके पालक या अभिभावक के साथ किसी अनवीन प्रक्रिया को नहीं अपनाएगा।
- स्कूल किसी भी बालक को प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा।
 - (क) आयु के संवत् के अभाव में;
 - (ख) यदि प्रवेश के लिए विहित की गई विस्तारित कालावधि के पश्चात् ऐसा प्रवेश चाहा गया है;
 - (ग) धर्म, जाति या मूलवंश, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर।
- स्कूल सुनिश्चित करेगा कि:
 - किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बालक को किसी कक्षा में रोका या निष्कासित नहीं किया जाएगा;
 - किसी बालक को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा;
 - प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को कोई बड़े परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी;
 - नियम 19 के अधीन प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा;
 - अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निःशुल्क/विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समाहित किया जाएगा;
 - अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन निर्धारित न्यूनतम योग्यता अनुसार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी; बशर्त कि वर्तमान में कार्यरत जो शिक्षक इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर न्यूनतम अर्हता नहीं रखते हैं, उन्हें अधिनियम के प्रारंभ होने के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि में निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्राप्त करनी होगी;
 - शिक्षकों को अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करना होगा;
 - घायब टॉपिंग की गतिविधियों में शिक्षक स्वयं भाग नहीं लेंगे/लेंगी।
- स्कूल समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमों का अनुसरण करेगा।
- अधिनियम की धारा 19 में विहित किए अनुसार स्कूल में उपलब्ध सुविधा के अनुसार न्यूनतम स्कूल में बच्चों का नामांकन किया जाएगा।

- स्कूल द्वारा अधिनियम की धारा 19 में विहित स्कूल के मानक एवं मापदण्ड बनाए रखे जाएंगे। अंतिम निरीक्षण के समय स्कूल में उपलब्ध सुविधाएँ निम्नानुसार पाई गयीं-

| सुविधाएँ | पीटीए में दर्जे | वास्तविक स्थिति |
|--|-----------------|-----------------|
| 3 स्कूल के भवन की स्थिति | स्वयं का भवन | स्वयं का भवन |
| 9 स्कूल का कुल क्षेत्रफल (वर्ग फीट में) | 11200 | 5500 |
| 10 स्कूल का निर्मित क्षेत्रफल (वर्ग फीट में) | 11000 | 2500 |
| 11 खेल मैदान का क्षेत्रफल (वर्ग फीट में) | 46000 | 3000 |

| ड. अधोसंरचना का विवरण | | | | | | |
|-----------------------|--|----------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| क्र.सं. | कक्षा | Rooms as | पीटीए में दर्जे | | वास्तविक स्थिति | |
| | | per RTE | संख्या | औसत आकार (वर्ग फीट में) | संख्या | औसत आकार (वर्ग फीट में) |
| 1 | कक्षा आठवीं तक उपयोग में आ रहे कक्षा कक्ष | | 15 | 600 | 0 | 0 |
| 2 | कार्यालय कक्ष, सहु. भण्डार कक्ष, सहु. प्रशासनाध्यक्षक कक्ष | | 1 | 500 | 0 | 0 |
| 3 | शौचालय, सहु. भण्डार | | 1 | 250 | 0 | 0 |

| घ. अन्य सुविधाएँ | | | पीटीए में दर्जे | वास्तविक स्थिति |
|------------------|--|---------|-----------------|-----------------|
| 1 | क्या सभी सुविधाओं तक पहुंच बना रहित है ? | हो नहीं | हाँ | हाँ |
| 2 | पठन पाठन सामग्री (हस्ताक्षरित सूची अपलोड करें) | हाँ | हाँ | हाँ |
| 3 | खेलकूद एवं खेल उपकरण (हस्ताक्षरित सूची अपलोड करें) | हाँ | हाँ | हाँ |
| 4 | पुस्तकों की संख्या | | 913 | 913 |
| 5 | पत्रिकाएं/सप्ताहिक पत्र | | 3 | 3 |
| 6 | पंपजल सुविधा का प्रकार | | Tube Well | Tube Well |
| 7 | पंपजल सुविधा की संख्या | | 2 | 2 |
| 8 | शौचालय का प्रकार (भारतीय/पश्चिमी/लहो) | | Indian | Indian |
| 9 | लड़कों के लिए पृथक शौचालयों की संख्या | | 2 | 2 |
| 10 | लड़कियों के लिए पृथक शौचालयों की संख्या | | 2 | 2 |
| 11 | विकलांग बच्चों के लिए उपयुक्त शौचालयों की संख्या | | 2 | 1 |
| 12 | क्या अग्नि सुरक्षा प्रणाली उपलब्ध है ? | हो नहीं | हाँ | हाँ |

- लेखे संपरीक्षित किए जाएंगे तथा चाहेतु एकाउन्टेड द्वारा सत्यापित होंगे और उचित लेखे विवरण नियमों के अनुसार तैयार होगा। प्रत्येक लेखेओं के विवरणों को एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।
- आपकी स्कूल का मान्यता कोड नम्बर 3522635 एवं आईसकोड (DISE) 23350200719 है। इस कार्यालय के साथ पत्राचार में यह कोड नम्बर संदर्भित किए जाएं।
- ऐसी रिपोर्ट और जानकारी स्कूल द्वारा प्रस्तुत की जाएगी, जो राज्य शिक्षा केन्द्र/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षित की जाए, और स्कूल राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुरोधों का पालन करेगा, जैसा कि स्कूल के संचालन की कमियों को दूर करने के लिए अधिकांश मान्यता की शर्तों के विरन्धर प्रति सुनिश्चित करने हेतु जारी किए जाएं।
- मान्यता/मान्यता, यदि कोई हो, के पंजीयन का नवीकरण किया जाएगा।
- अन्य शर्तें संलग्न उपबंध "सी" के अनुसार होंगी।
- अधिनियम एवं नियम के उपबंधों और मान्यता की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने तथा सिद्ध हो जाने पर मान्यता वापस ले ली जाएगी।

जिला शिक्षा अधिकारी

जिला शिक्षा अधिकारी

जिला Betul मध्य प्रदेश